

लोकसभा की आचार समिति

प्रलिस के ललल:

लोकसभा की आचार समलतल, 'प्रश्न के बदले नकद', वशलषाधकलर समलतल, संसद के सदसुतुं कल नैतकल और नीतपरक आचरण ।

मेनुस के ललल:

लोकसभा की आचार समलतल, संसद और राज्य वधलनमंडल, संरचना, कलरुपरणाली, वुववसलतु कल संचलन, शकुतलतुतुं एवं वशलषाधकलर तथल इनसे उतुपनुन होने वलले मुदुदे ।

सुरत: इंडतलन एकसपरस

चरुचल में कुतुतुं ?

हलल ही में लोकसभा की आचार समलतलने संसद में प्रश्न पूछने के ललतल "रशलवत" लेने के आरुपी एक सलंसद पर ' प्रश्न के बदले नकद ' घुटलले की ऑऑ शुरु की है ।

- समलतल आरुतुतुं की ऑऑ करने और शकुलतकुरुतल, गवलहूं और आरुपी सलंसद सहलतल सभुी संबंधतल पकुषूं से सबूत इकुदुठल करने के ललतल कलरुतलवली करेगी ।

संभलवतल परणलम:

- तदु आचलर समलतलकु शकुलतल सही पलई ऑलती है तु वह सफलरशलं कर सकतुी है । वह ऑसल संभलवतल सऑल की सफलरशल करतुी है, उसमें आम तुौर पर एक नरुदषलट अवधकु के ललतल सलंसद कल नललंबन शलमलल है ।
- सदन, ऑसलमें सभुी सलंसद शलमलल हैं, अंतत: नरुणतु करेगल कल समलतलकी सफलरशल कु सुवलकलर कतल ऑल अथवल नही और सऑल की परकुतल एवं सीमल, तदु कुकुई हु, तु वह नरुधलरतल की ऑलगी ।
- तदु आरुपी कु नषलकलसतल कतल ऑलनल थल तल संभलवतल परतकुल नरुणतु कल सलमनल करनल पडल, तु समलतलइसे नुतलऑलतु में ऑुनूतुी दे सकतुी थी ।
 - ऐसे नरुणतु कु नुतलऑलतु में ऑुनूतुी देने के आधलर सीमलतल हैं और आम तुौर पर इसमें असंवैधलनकुतल, घुुर अवैधतल तल परकुतकु नुतलतु से इनकलर के दलवे शलमलल हैं ।

नुट: वरुष 2005 में दुनुनु सदनुनु ने 10 लोकसभल सलंसदुं और एक रलऑतुसभल सलंसद कु नषलकलसतल करने के ललतल परसुतलव कु मंऑुरी दी, ऑनल पर धन के बदले संसद में प्रश्न पूछने हेतु सहमत होने कल आरुप थल । लोकसभल में तल परसुतलव बंसल समलतलकी रपुुर्ट पर आधलरतल थल, ऑु इस मुदुदे की ऑऑ के ललतल अधुतकुष दवलरल गठतल एक वशलष समलतल थी ।

- रलऑतुसभल में शकुलतल की ऑऑ सदन की आचलर समलतलदुवलरल की गई ।
- नषलकलसतल सलंसदुं ने मलंग की कल बंसल समलतलकी रपुुर्ट वशलषाधकलर समलतलकु भेऑी ऑल, तलकल सलंसद अपना बऑलव कर सकुं ।

लोकसभा की आचार समलतल:

- परऑतुतु:
 - आचलर समलतलके सदसुतुं की नतुकुतल अधुतकुष दवलरल एक वरुष की अवधकु के ललतल की ऑलती है ।
- इतलहलस:

- वर्ष 1996 में दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहली बार दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के लिये **आचार समिति गठित करने का वचन** सामने आया ।
- तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति (और राज्यसभा के सभापति) के.आर. नारायणन ने **सदस्यों के नैतिक और नीतिपरक आचरण** की नगिरानी करने एवं इससे संदर्भित कदाचार के मामलों की जाँच करने के लिये 4 मार्च, 1997 को **उच्च सदन की आचार समिति** का गठन किया ।
 - लोकसभा के मामले में **वर्ष 1997 में सदन की विशेषाधिकार समिति** के एक अध्ययन समूह ने एक आचार समिति के गठन की सफारिश की, **लेकिन इसे लोकसभा द्वारा अंगीकृत नहीं किया जा सका ।**
- **13वीं लोकसभा** के दौरान विशेषाधिकार समिति ने **अंततः एक आचार समिति के गठन** की सफारिश की ।
- दिवंगत अध्यक्ष जी. एम. सी. बालयोगी ने वर्ष 2000 में **एक तदर्थ आचार समिति** का गठन किया, जो वर्ष 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई ।
- **शिकायतों की प्रक्रिया:**
 - कोई भी व्यक्ति **किसी सदस्य के विरुद्ध** किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से **कथित कदाचार के साक्ष्यों** और एक हलफनामे के साथ शिकायत कर सकता है, जिसमें कहा गया हो कि शिकायत **"झूठी, तुच्छ या परेशान करने वाली"** नहीं है ।
 - यदि सदस्य स्वयं शिकायत करता है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है ।
 - अध्यक्ष **किसी सांसद के विरुद्ध कोई भी शिकायत** समिति को भेज सकता है ।
 - समिति केवल मीडिया रिपोर्टों या वचाराधीन मामलों पर आधारित शिकायतों पर विचार नहीं करती है । **किसी शिकायत की जाँच करने का निर्णय लेने से पूर्व** समिति **प्रथम दृष्टया जाँच** करती है तथा शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद अपनी सफारिशें करती है ।
 - समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, जो सदन से विचार विमर्श करता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिये ।
 - रिपोर्ट पर **आधे घंटे की चर्चा का भी प्रावधान है ।**
- **विशेषाधिकार समिति के साथ ओवरलैप:**
 - आचार समिति और **विशेषाधिकार समिति** का कार्य प्रायः ओवरलैप होता है । किसी सांसद के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी निकाय को भेजा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अधिक गंभीर **आरोप विशेषाधिकार समिति के पास** जाते हैं ।
 - विशेषाधिकार समिति का कार्य **"संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा" की रक्षा करना** है ।
 - इन विशेषाधिकारों का लाभ व्यक्तिगत सदस्यों के साथ-साथ संपूर्ण सदन को भी मिलता है । **विशेषाधिकार के उल्लंघन** के लिये एक सांसद की जाँच की जा सकती है; किसी गैर-सांसद व्यक्ति पर भी सदन के अधिकार और गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कार्यों के लिये विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है ।
 - आचार समिति केवल उन कदाचार के मामलों पर विचार कर सकती है जिनमें सांसद शामिल हों ।

